अध्याय- प्रथम

शोध परिचय

अध्याय –प्रथम

शोध– परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 प्राथमिक शिक्षा का निम्न गुणात्मक स्तर–एक समस्या

1.3 न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ

1.4 न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण करने के लाभ

1.5 शिक्षा में हिन्दी भाषा का महत्व

1.6 प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण और अध्ययन के उद्देश्य

1.7 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व

1.8 हिन्दी व्याकरण शिक्षण का महत्व

1.9 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

1.10 समस्या कथन

1.11 अध्ययन के उद्देश्य

1.12 अध्ययन की परिकल्पना

1.13 परिचालक परिभाषाऐं

1.14 समस्या का सीमांकन

अध्याय –प्रथम

शोध–परिचय

1.1 प्रस्तावना –

प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ संबंध प्राथमिक शिक्षा का हैं उतना घनिष्ठ संबंध न तो माध्यमिक शिक्षा का है, न ही उच्च शिक्षा का है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना ही किसी दूसरी सामाजिक, राजनैतिक या शैक्षणिक शिक्षा का नहीं। इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा या जनसाधारण की शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार –"मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल होगी जब तक कि भारत में जनधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा।" सन् 1950 हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत यह कहा गया " राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के भीतर 6 से 14 आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगा।" परन्तु दुर्भाग्यवश यह लक्ष्य हम आज तक भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। परन्तु ऐसा नहीं की इस दिशा में प्रयास नहीं किये वरन् इस दिशा में निरंतर प्रयास किये जाते रहे है, जैसे कि कोठारी आयोग (1964–1966) ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए

बताया "शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है।" इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना होगा। परन्तु प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में मुख्यतः तीन पक्ष्य बाधक है।

- ❖ अपव्यय
- ❖ अवरोधन
- ❖ निम्न गुणात्मक स्तर

प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की चर्चा करते हुए भारतीय शिक्षा आयोग (1966) ने कहा – "सिरदर्द और भुखार के समान अपव्यय और अवरोधन स्वयं रोग नहीं है। वे वास्तव में शिक्षा व्यवस्था के अन्य रोगो के लक्षण है तथा हमारी शिक्षा व्यवस्था में अपव्यय और अवरोधन की मात्रा अत्यन्त विशाल हैं।" भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) मे अपव्यय व अवरोधन की समस्या को अत्यंत गंभीरता से लिया। तथा सुझाव दिया कि बीच में पढ़ाई छोड़कर जानेवाले बच्चों की समस्या के समाधान के लिए उच्च प्राथमिकता देने और बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार की गई नीतियों के अनुसार सूक्ष्म आयोजन पर आधारित व्यवस्था को अपनाया जाये और देशभर में नीचले स्तर से लागू किया जाये ताकि बच्चों को स्कूल में शिक्षा जारी रखने के लिए सुनिश्चित किया जा सकें। इस प्रकार प्रशासनिक तोर पर अपव्यय एवं अवरोधन की मात्रा कम की जा सकती है।

1.2 प्राथमिक शिक्षा का निम्न गुणात्मक स्तर–एक समस्या

देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वंतत्रता प्राप्ति के पश्चात शैक्षिक सुविधाओं में समय अत्याधिक प्रसार हुआ है। देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस व्यापक प्रसार के

फलस्वरूप जिन शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार हुआ है। वे संस्थागत संरचनागत् अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाओं और विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर निकले छात्र योग्यता की दृष्टि से गुणवत्ता में काफी भिन्न हैं। गुणवत्ता की यह भिन्नता कुछ राज्यों, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयो, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों आदि में अधिगम रूप से दिखाई देती है। गुणवत्ता संबंधित असंगत स्थिति में सुधार की अविलंब आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तर समिति का गठन किया।

1.3 न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ–

न्यूनतम अधिगम स्तरों के प्रयास में तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है।

- ❖ न्यूनतम
- ❖ अधिगम
- ❖ स्तर

1. न्यूनतम का अभिप्राय कुछ कम स्तर की शिक्षा प्रदान करने से नहीं है वरन् छात्रों में उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक दक्षताओं का विकास पारंगतता के स्तर पर कराने से है।
2. अधिगम अथवा सीखने से अभिप्राय होता है– पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिर्वतन लाना ये परिवर्तन बालक के विकास अभिवृत्ति अथवा आकस्मिक घटना के फलस्वरूप पैदा नहीं होने वरन् ये परिवर्तन शैक्षणिक क्रिया के परिणाम होगें जो विद्यार्थी के व्यवहारों (गुणात्मक, क्रियात्मक, भावानात्मक) में स्थाई रूप से देखे जा सकेंगें।
3. स्तर का अभिप्राय है कि इन परिवर्तनों की उपलब्धि की सीमा क्या है और जो भी व्यवहार बच्चों ने सीखा है उसमें कुशलता की

पारंगता का माप क्या हैं। जैसे किसी कार्य या क्रिया को कोई विद्यार्थी 70 प्रतिशत सफलता के साथ कर सकता है तो माना जायेगा कि उसके सीखने का स्तर 70प्रतिशत हैं।

स्कूल में विद्यार्थियों को सीखने से कुछ विशेष अनुभव दिये जाते है। जैसे पढ़ना, लिखना, निरीक्षण करना, उत्सव में भाग लेना आदि । जब उनको यह अनुभव दिये जाते है तब वे अधिगम प्रक्रिया से गुजरते है इनको अधिगम अनुभव कहते है। अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्यार्थियों में ज्ञान बोध कौशलों, भावनाओं, रूचियों मनोवृत्तियों तथा आर्दशों का विकास होता है। ये अधिगम प्रतिफल कहलाते है। जिन अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त किया जाता है उनको ध्यान में रखकर ही शिक्षाणार्थियों को अधिगम अनुभव दिये जाते है।

न्यूनतम अधिगम स्तर वे अधिगम प्रतिफल है जिन्हें प्राप्त किया जाना है अधिगम प्रतिफल का दक्षताओं के रूप में उल्लेख किया गया है। दक्षता पूर्व निर्धारित अधिगम लक्ष्य है, जिनकी शिक्षार्थी के व्यवहार मे अपेक्षा की जाती है। शिक्षार्थी उस दक्षता के अन्तर्गत उल्लेख की गई क्रियाओं को करने में सक्षम हो जायेगा। न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि कक्षा के 80 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा के लिए निर्धारित की गई दक्षताओं मे से 80प्रतिशत दक्षताऐं पूरी तरह से प्राप्त कर ले।

1.4 न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण करने के लाभ

अधिगम स्तर के निर्धारण में कई बुनियादी बातों में सहायता मिलती है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं।

1. शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों का निश्चय स्पष्ट होना। इससे शिक्षकों को अपने काम की एक निश्चित दिशा मिलती है। अब इनके सारे प्रयासों का लक्ष्य यह होगा कि सभी शिक्षार्थी निर्धारित दक्षताओं को पूरी तरह प्राप्त करें। केवल पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों को पूरा करना उनका लक्ष्य नहीं रह जाता है।

2. उपयुक्त शिक्षण अधिगम क्रियाओं का चयन अधिगम स्तर की पूर्ण प्राप्ति के प्रयास में शिक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण बन जाती है। विषयवस्तु इसमें माध्यम का कार्य करती है। पठन पाठन की सामग्री क्या है। इसके लिए भी अधिगम स्तर आधार का कार्य करता है।

3. शिक्षार्थियों की सम्प्राप्ति का उचित मूल्यांकन शिक्षार्थियों ने क्या-क्या और कितना सीखा है, इसकी जाँच के लिए अधिगम स्तर से आधार और संदर्भ मिलते है। अर्थात् परीक्षणों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होने हैं। इससे शिक्षार्थियों की सम्प्राप्ति का सही मूल्यांकन हो सकता है।

4. पाठ्यक्रम मे सुधार निर्धारित होने से विषयवस्तु का चुनाव उसके आधार पर किया जाता है। इसमें आवश्यक विषयवस्तु के छूट जाने और अनावश्यक विषयवस्तु के शामिल हो जाने की संभावना नहीं रहती। विषय-वस्तु का अनावश्यक बोध भी कम हो जाता है।

1.5 शिक्षा मे हिन्दी भाषा का महत्व-

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनके सामाजीकरण में भाषा का पूरा योगदान होता है। यह माना जाता है कि मानव में भाषा अर्जन और व्यवहार की सहज क्षमता रहती है। इसके कारण ही वह जन्म से ही भाषा को अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले वह अपने परिवेश में प्रचलित भाषा को सीखता है।

अनेकता में एकता वाले देश में अनेक भाषाऐं बोली और लिखी जाती हैं, किन्तु हिन्दी जहाँ हमारे देश की राजभाषा एवं संपक्र भाषा हैं। वही उत्तर भारत की तो वह मातृभाषा भी हैं। हिन्दी में वे सभी शक्ति, सामर्थ्य और गुणों के दर्शन होते है जो एक भाषा को राष्ट्रभाषा के दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक रूप से होने चाहिए। राजभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व दिनों -दिन बढ़ता जा रहा हैं। हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बन गई हैं।

राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में – " हिन्दी एक जोड़नेवाली भाषा हैं, जिसमें सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों को एक सूत्र में बांध रखा हैं।" व्यापक क्षेत्र में जन सामान्य द्वारा बोली जानेवाली हिन्दी आज संपर्क भाषा का कार्य कर रही हैं। हिन्दी भाषी प्रदेशों में इसे मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में विद्यालय में पढ़ाई जाती है। इस भाषा का विशेष महत्व रहता है। विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को एक दूसरे के सम्पर्क में रहने के लिए हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तन के साथ–साथ अनेक नवीन खोजो को भाषा के माध्यम से अहिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षको को जानकारी मिलती है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को लेकर हो रही संगोष्ठी कार्यप्रणाली में विद्यार्थी आसानी से भाग ले सकते है। यह सब तभी संभव हो सकेंगा जब हिन्दी भाषा की उपलब्धि अहिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर से अच्छी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के अभ्यास के लिए हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नवीन क्रांति तथा प्रयोग के लिए हिन्दी भाषा का अपना विशिष्ठ महत्व है। दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी भाषा के मोह में पड़कर हम अपनी भाषा से दूर हो रहे है और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित रहकर हीनता से ग्रस्त होते जा रहे है।

1.6 प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण और अध्ययन के उद्देश्य–

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में से प्राथमिक स्तर महत्वपूर्ण माना जाता है आज देश में प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा का ज्ञान विद्यार्थी अपनी रूचि, योग्यता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता पर आधारित होता है। जिस क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा से संबंधित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिन्तन तथा

अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। तथा जीवन से संबंधित किसी भी विषय का अध्ययन करने का सामर्थ्य विकसित किया जाता है। उसे ही हिन्दी शिक्षण कहा जाता है। हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी प्रदशों में हिन्दी के शिक्षण में पर्याप्त अन्तर है। पिछली शताब्दी तक बहुभाषी होना व्यक्ति की सांस्कृतिक सम्पन्नता का घोतक था, किन्तु आज स्थिति सर्वथा भिन्न है, अब वह एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई है। इक्कसवी शताब्दी में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषा की जानकारी के इस लक्ष्य परिवर्तन को समझना अति आवश्यक है। आज हम एक दो प्रमुख भाषाओं की जानकारी केवल इसलिए नहीं प्राप्त करना चाहते कि उस भाषा में उचित उच्च साहित्य का रसास्वादन कर सकें। अपितु इसलिए भी करना चाहते है कि अन्य भाषा–भाषी व्यक्तियों के जीवन को व्यापक स्तर पर समझकर उनके साथ हम जीवनगत उपलब्धियों का आदान–प्रदान कर सकें।

बालक जब विद्यालय में आता हैं तो वह अपनी मातृभाषा के कुछ शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना सीख चुका होता है। यह देखा गया है कि इन शब्दों वाक्यों का प्रयोग प्रायः किसी बोली से अधिक होता है विद्यालय में छात्र हिन्दी भाषा की शब्दावली, व्याकरण आधारित संरचना, भाषा व्यवहार आदि का शिक्षण प्रात करता हैं और विद्यालयी शिक्षा क्रम में द्वितीय, तृतीय भाषा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न भाषा–भाषी क्षेत्रों में संचार का प्रमुख सम्प्रेषण तथा संपर्क भाषा के रूप में भी उसका प्रयोग करना हैं। अतः हमारा प्रयत्न वह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन हिन्दी भाषा के प्रयोग की कुशलता बढ़ती जायें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा भी प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण के निम्नांकित उद्देश्य है–

❖ विद्यार्थियों के उच्चारण को हिन्दी के मानक रूप की ओर लाना।

- ❖ दूसरों के विचारों को सुनकर समझने की योग्यता का विकास करना।
- ❖ साहित्य की प्रमुख विधाओं को रचना के माध्यम से पहचानना।
- ❖ अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।
- ❖ विभिन्न संदर्भो में व्याकरण संपन्न भाषा का व्यावहारिक प्रयोग करने में समर्थ करना।
- ❖ भाषा के प्रमुख तत्वों से परिचय करना।
- ❖ भाषा चिन्तन की योग्यता का विकास करना।
- ❖ लेखन की यांत्रिक कुशलताओं में पूर्णता लाना।
- ❖ अन्य विषयों के अध्ययन के लिए भाषा का प्रभावी उपयोग कर सकना।
- ❖ भाषा व्यवहार के द्वारा संवेगात्मक समायोजन का विकास करना।
- ❖ भाषा संबंधी स्व अधिगम की योग्यता का विकास करना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थी का प्रांरभिक स्तर पूर्ण होने पर उसे सभी प्राथमिक भाषाई, कुशलता, व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग तथा साहित्य की प्रमुख विधाओं से रचनात्मक ढ़ंग से शिक्षण देकर परिचित करा दिया जाना चाहिए।

1.7 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व–

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का विशेष महत्व है। संवैधानिक दृष्टि से वह भारत की राजभाषा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों की तो वह मातृभाषा है। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक आदि इन अहिन्दी राज्यों में यह द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा चार या पाँच से पढ़ाई जाती है। हिन्दी हमारे देश मे युग–युग से विचार विनियम का माध्यम रही हैं। हिन्दी सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या अधिकांश

हैं। भारत यह एक ऐसा देश है जिसमें बहुधर्मी, बहुभाषायी, लोग निवास करते है इन विभिन्नताओं में एकता लाने का कार्य हिन्दी भाषा के द्वारा ही संभव है। लोग एक-दूसरे के धर्म, भाषा, वेश, संस्कृति साहित्य का आदर करते है। जिससे उनमें भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाते है।

उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व है। हिन्दी साहित्य, इतिहास ज्ञान तथा हिन्दी भाषा की संरचना के ज्ञान, साहित्यकारों, काव्यशास्त्र का ज्ञानप्राप्त करने के लिए हिन्दी भाषा का महत्व है।

1.8 हिन्दी व्याकरण शिक्षण का महत्व-

व्याकरण भाषा का अनुशासन है, शासन नहीं अर्थात् भाषा बनने के बाद व्याकरण इसके नियमों की व्याख्या प्रस्तुत करता हैं। व्याकरण भाषा का सजृन नहीं करता, वह भाषा का परिष्कार करता है। भाषा के लक्षणों और लक्ष्यों के व्यवस्थित वर्णन का नाम व्याकरण है। भाषा को व्यवस्थित करता है।

हिन्दी आज हमारी मातृभाषा नहीं है अपितु आज वह भारत देश की राष्ट्रभाषा भी हैं। राष्ट्रभाषा बन जाने के कारण इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। जब यह समूचे भारतवर्ष में विचार विनिमय का साधन बनेगी तो इसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिलेंगे। वाक्य रचना भी स्थानीय प्रभावों से अछूती नहीं रहेंगी। ऐसी स्थिति में भाषा रूपी रथ को चलाने के लिए व्याकरण रूपी एक चतुर सारथी की आवश्यकता हैं। अतः इसे अनुशासनबद्ध करना आवश्यक है और यह कार्य व्याकरण ही कर सकता है। आवश्यकता है- कक्षाओं में इस भाषा के अनुशासित शिक्षण की। व्याकरणज्ञान हीन शिक्षण किसी काम का नहीं। शुद्ध भाषा प्रयोग व्यवहार से आता है, पर शुद्ध भाषा का ज्ञान व्याकरण कराता है। भाषा की स्पष्टता और शुद्धता को बनाये रखने के लिए व्याकरण शिक्षण अनिवार्य हैं।

प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान भले ही वांछित न हो क्योंकि इस स्तर पर बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है, परन्तु भाषा का सामान्य ज्ञान हो जाने पर इसका अनुशासित ज्ञान आवश्यक है। जब बालक का शब्द भण्डार विकसित हो जाये, उसमें वाक्य के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान कराना लाभकारी होगा।

1.8.1 व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य–

व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है। इसके लिए बच्चों को अक्षरो, शब्दों और वाक्यो के सर्वमान्य रूपों का ज्ञान कराना होता है, उन्हें शब्द शक्तियों, छंद, अलंकार और रसों का ज्ञान कराना होता है। इस सब ज्ञान के आधार पर उन्हें अभ्यास द्वारा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति विचारों को सही रूप से समझने और अपने भाव एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा में प्रकट करने योग्य बनाया जाता है। ये सब व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं–

ज्ञान–

1. छात्रों को मूल ध्वनियों, ध्वनि समूहों, ध्वनियों के अन्तर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों, छंद अलंकारों और रसों का ज्ञान कराना।
2. छात्रों को शब्दों के शुद्ध रूप एवं उनकी शुद्ध वर्तनी वाकय रचना के नियम और विराम चिह्नों के सही प्रयोग का ज्ञान कराना।
3. छात्रों को साहित्य की विभिन्न विधाओं और उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना।

कौशल–

4. छात्रों को बोलने में भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करने और लिखनें में विषय और अवसर के अनूकूल भाषा एवं शैली का प्रयोग करने में निपुण करना।

5. छात्रों मे शुद्ध वर्तनी लिखने, शुद्ध वाक्य रचना करने, विराम चिह्नों का सही प्रयोग करने और कम से कम भाषा में अधिक से अधिक विचार अभिव्यक्ति कर सकने के कौशल का विकास करना।

6. छात्रों को भाषा के गुण-दोष परखने एवं साहित्यक रचनाओं की भाषा का मूल्यांकन करने योग्य बनाना।

रूचि-

7. छात्रों में शुद्ध भाषा सीखने और शुद्ध भाषा के प्रयोग करने की रूचि उत्पन्न करना।

8. छात्रों में भाषा के गुण-दोष परखने की रूचि उत्पन्न करना।

अभिवृति-

9. छात्रों में व्याकरण सम्मत भाषा के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव जागृत करना।

10. छात्रों में भाषा एवं साहित्य की समीक्षा करने की अभिवृत्ति का विकास करना।

1.9 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व-

प्रत्येंक कक्षा में हम देखते है कि सभी बच्चें उतना नहीं सीख पाते जितना उन्हें सीखना चाहिए। कुछ बच्चों में तो उस कक्षा के लिये निर्धारित दक्षताओं का विकास हो जाता है, कुछ में नहीं। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। कक्षा में बहुत से बच्चें ऐसे होते है जिनको पाठ्यक्रम में हिन्दी के अलावा अन्य विषय जैसे विज्ञान, अंग्रेजी, गणित आदि में रूचि होती है तथा उन विषयों पर अच्छी पकड़ भी होती है। लेकिन हिन्दी में जिनकी उपलब्धि निम्न स्तर की होती है, उन्हें हिन्दी भाषा के अधिगम में कठिनाई होती है। इस वजह से वह उससे दूर भागते है। सही ज्ञान न होने की वजह से उन्हें प्रत्येंक स्तर पर कठिनाई होती है। इसके अलावा भी हिन्दी

भाषा अधिगम में बच्चों को होनेवाली कठिनाई के अन्य कारण हो सकते है जो निम्नलिखित है।

1. मातृभाषा के प्रभाव के कारण,
2. पालकों का अशिक्षित होना,
3. शिक्षण सामग्री का अभाव,
4. भाषा के कौशलों का विकास न हो पाना,
5. योग्य मागदर्शन न मिल पया हो।

ऐसा भी नहीं की जो बच्चें हिन्दी में कमजोर होते है वे मंदबुद्धि होते है, हो सकता है कि वे बच्चे अन्य विषयो में अच्छे हो। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुये शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन लिया गया है। हिन्दी भाषा लेने का कारण यह है कि. गुजरात राज्य में द्वितीय भाषा के रूप मे हिन्दी पढ़ाई जाती है, हिन्दी उनकी मातृभाषा न होने के कारण बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई हिन्दी भाषा में होती है। इस पृष्ठभूमि ने शोधकर्ता को यह अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बालक व बालिकाओं को हिन्दी भाषा के अधिगम में कठिनाईयाँ किन-किन स्तरों पर होती है तथा उन कठिनाईयों को जानने के बाद उनको रोकने के ऐसे उपाय करें कि जिससे बालक-बालिकायें उस तरह की गलतियाँ ना करें। बच्चों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए अतिआवश्यक है कि-

(1) ऐसे बच्चों की पहचान करना जिन्हें हिन्दी भाषा के अधिगम में कठिनाई होती है।

(2) बच्चों की कठिनाईयों के लाक्षणिक स्तर तथा उसके कारण से संबंधित कारकों को समझकर निदान करना।

(3) शिक्षकों मे ऐसी दक्षताओं का विकास करना जिससे कि वह हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु उचित क्रियाविधि का चयन कर सकें।

(4) ऐसी निर्देशानात्मक सामग्री विकसित की जाये जो हिन्दी भाषा शिक्षण में शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए उपयुक्त हो।

(5) अपचारात्मक कार्यक्रम हेतु प्रबंध किये जाने चाहिए।

1.10 समस्या कथन–

"कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन।"

1.11 अध्ययन के उद्देश्य–

1. कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन करना।
2. कक्षा 7वीं के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन करना।
3. कक्षा 7वीं के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन करना।
4. कक्षा 7वीं के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन करना।

1.12 अध्ययन की परिकल्पना–

1. कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाई में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. कक्षा 7वीं के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाई में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. कक्षा 7वीं के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाई में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. कक्षा 7वीं के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाई में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.13 परिचालक परिभाषाएँ–

❖ **अधिगम–**

शब्दाकोष के अनुसार अधिगम शब्द का सबसे सटीक पर्यायवाची शब्द 'सीखना'' दिया गया है। अन्य अर्थ ज्ञान,विद्या जानकारी आदि है।

❖ **अंग्रेजी अर्थ–**

अधिगम शब्द के लिए अंग्रेजी में Learning शब्द अधिक अर्थबोधक है। जेरोम ब्रुनर ने अधिगम के अनेक प्रकार बताये है। जिनमें उपयुक्त का चुनाव करना होता है। हिल के अनुसार अधिगम की क्रिया छात्रों को अभिप्रेरित करके अधिक प्रभावशाली बनाई जा सकती हैं।

1.14 समस्या का सीमांकन–

❖ प्रस्तुत शोधकार्य गुजरात राज्य के नवसारी जिले तक सीमित है।

❖ प्रस्तुत शोधकार्य कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों पर किया गया है।

❖ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कुल 6 विद्यालयों के 120 विद्यार्थियों पर, किया है।